निग/2917/II/15 (156)

सिविल कोर्ट-रीवा

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, (म0प्र0)

निगरानी क्र0 /15

337
19.8.15

1. बाबूलाल तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र 50 वर्ष
2. मोतीलाल तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र 45 वर्ष
3. रामचन्द्र तनय स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र 38 वर्ष
4. मु0 चुनकी पत्नी स्व0 श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार 78 वर्ष सभी निवासी नयागांव चित्रकूट थाना नयागांव तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0

——————— निगराकारगण

बनाम

1. बद्रीप्रसाद पिता परवत प्रजापति साकिन नयागांव तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0
2. शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय सतना जिला सतना म0प्र0

—————— गैरनिगराकारगण

श्री... एन. पी. पोल
19.8.15

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत चित्रकूट तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 14/अ12/2014—15 में पारित आदेश दि0 30/5/2015

निग0 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकारगण निगरानी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निम्नलिखित विनय करते हैं—

निगरानी के तथ्य

यह कि संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगराकार क्र0 1 द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत चित्रकूट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर गैरनिगराकार क्र0 1, जो पैसे वाला व प्रभावशाली व्यक्ति है, ने राजस्व निरीक्षक वृत चित्रकूट व हल्का पटवारी नयागांव चित्रकूट को अपने प्रभाव में लेते हुये चोरी छिपे बिना सरहद्दी काश्तकारों को सूचना दिये, निगराकारगण के हक स्वामित्व की आराजी नं0 528/4 रकवा 6 बीघा के अंश भाग 0.106 हे0 में गैरनिगराकार क्र0 1 व अन्य

निशानी अंगूठा बाबूलाल
निशानी अंगूठा मोतीलाल
निशानी अंगूठा मु0 चुनकी

रामचन्द्र

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग 2017-III/2015 जिला सतना

बाबूलाल विरूद्ध बद्री प्रसाद

1	2	3
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त चित्रकूट तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 14/अ-12/2014-2015 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-03-2019 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	